जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
73/20
A3

विविध बैंक प्रकरण सं0 73/2016 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया मुख्य शाखा 4 सी रविन्द्र पथ श्रीगंगानगर जरिये मुख्य प्रबन्धक बनाम 1—मैसर्स आनन्द मिगलानी शू सेन्टर स्थित दुकान नम्बर 18/6 गोल बाजार, गांधी चौक, श्रीगंगानगर जरिये प्रोपराईटर अजय मिगलानी पुत्र श्री मोहनलाल मिगलानी निवासी मकान नम्बर 664, वार्ड नम्बर 24, विनोबा बस्ती श्रीगंगानगर—मूल ऋणी 2—विजय मिगलानी पुत्र श्री मोहनलाल निवासी मकान नम्बर 664, वार्ड नम्बर 24, विनोबा बस्ती श्रीगंगानगर —गारन्टर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.11.2016

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक श्री भारतभूषण महेन्द्रा उपस्थित है। उनकी बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि यह प्रा0 पत्र प्रार्थी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया मुख्य शाखा श्रीगंगानगर द्वारा मैसर्स आनन्द मिगलानी शू सेन्टर स्थित दुकान नम्बर 18/6 गोल बाजार, गांधी चौक, श्रीगंगानगर जरिये प्रोपराईटर अजय मिगलानी पुत्र श्री मोहनलाल मिगलानी निवासी मकान नम्बर 664, वार्ड नम्बर 24, विनोबा बस्ती श्रीगंगानगर—मूल ऋणी 2—विजय मिगलानी पुत्र श्री मोहनलाल निवासी मकान नम्बर 664, वार्ड नम्बर 24, विनोबा बस्ती श्रीगंगानगर —गारन्टर के विरूद्ध धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत प्रस्तुत कर गिरवीकृत सम्पति **Property at Shop 18, Measuring (120 sqft.) Southern part of Northern part, Facing towards East (Without Rights of roof, Ground floor only) Situated at Goal Bazar, Gandhi chowk[Sriganganagar** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाने के लिए पेश किया था और अब प्रार्थी बैंक के अभिभाषक श्री भारतभूषण महेन्द्रा ने प्रार्थना की है कि प्रार्थी बैंक की बकाया ऋण राशि की वसूली हो चुकी है और अब वह इस प्रा0 पत्र पर आगे कोई कार्रवाई नही चाहते है अगर इसी आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नही है।

चूंकि प्रार्थी बैंक की बकाया ऋण राशि वसूल हो चुकी है और प्रार्थी बैंक अब इस मामले में कोई कार्रवाई नही चाहते है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1971
15.11.16

यह आदेश आज दिनांक 15.11.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर